

झारखण्ड सरकार  
वाणिज्य-कर विभाग

पत्र संख्या- वा0कर1/विविध/22/2010 - 327(अनु०) / राँची, दिनांक - 25/11/12

प्रेषक,

अलका तिवारी  
सचिव-सह-आयुक्त,  
वाणिज्य-कर विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) / (वैट ऑडिट) / (अपील),  
सभी अंचल प्रभारी।

विषय:- विभागीय अधिसूचना संख्या एस0ओ 143 दिनांक 23.07.2011 के नियम 11 A के उपनियम (2) के अधीन ऑनलाईन केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्रों के निर्गमन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली के अधीन स्वचालन (Automation) पर विशेष महत्व दिया गया है ताकि स्वतः-स्फूर्त, पारदर्शी, राजस्वोन्मुखी तथा व्यवसायी अनुकूल (Dealers-friendly) कर व्यवस्था स्थापित की जा सके। उक्त स्वचालित प्रक्रिया के क्रियान्वयन के कम में, विभागीय प्रक्रियाएं यथा निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करना, केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्रों/प्रान्तीय प्रपत्रों का निर्गमन, विवरणियाँ समर्पित करना, निबंधन तथा कर भुगतान को online करना आवश्यक है।

**e-governance** प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्रों के ऑनलाईन निर्गमन की योजना प्रारंभ की जा रही है।

सम्प्रति प्रारंभिक दौर में केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्र 'सी' के निर्गमन की योजना जनवरी, 2012 में प्रारंभ की जा रही है। कालक्रम में विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से अन्य केन्द्रीय/प्रान्तीय वैधानिक प्रपत्रों के ऑनलाईन निर्गमन की सुविधा प्रारंभ होगी।

केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्र 'सी' के निर्गमन हेतु **Online Process-flow** प्रक्रिया (Procedure) निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

1. संशोधित केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 (अधिसूचना संख्या 143 दिनांक 23.07.2011) के नियम 3A के साथ पठित CST Act के अधीन सभी निबंधित व्यवसायियों को **TIN** प्रदान किया जाएगा जो कि झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 तथा

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के अधीन प्रदत्त TIN के साथ अंत में (suffix) के रूप में 3 अंकों "101" की संख्या जोड़ी जायेगी।

2. (क) समयाभाव को ध्यान में रखते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी निबंधित व्यवसायियों को ऑनलाईन "CST Profile" बनाने हेतु सूचित किया गया है। उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट [www.jharkhandcomtax.nic.in](http://www.jharkhandcomtax.nic.in) पर भी उपलब्ध है। वस्तुतः उक्त Profile, Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957 के अधीन विहित आवेदन 'Form-A' ही है।

(ख) "CST Profile" भरने के उपरांत व्यवसायियों को Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957 के अधीन निर्गत प्रमाण पत्र (Form-B') को विभागीय वेबसाइट [www.jharkhandcomtax.nic.in](http://www.jharkhandcomtax.nic.in) पर भी upload करना अनिवार्य है। अंचल में निबंधित व्यवसायियों के स्थायी अभिलेख (Permanent Record) से, उक्त uploaded प्रमाण पत्र (Form-B') का मिलान कर, अंचल प्रभारियों को व्यवसायी द्वारा Online भरे गये CST Profile को विभागीय डाटाबेस में Include करना है।

(ग) तदोपरांत विभागीय सॉफ्टवेयर द्वारा नया निबंधन प्रमाण पत्र कंडिका-1 में वर्णित TIN के साथ स्वतः निर्गत हो जाएगा। अंचल प्रभारी द्वारा उक्त निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र (Registration Certificate) की हस्ताक्षरित प्रति निबंधित व्यवसायियों को अलग से उपलब्ध कराई जा सकती है।

(घ) इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना भी अतिआवश्यक है कि Online issuance of Forms की सुविधा हेतु, व्यवसायियों द्वारा CST Profile update करने की प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है।

(ङ) Online Issuance of 'C' Form के क्रम में, विभागीय सॉफ्टवेयर द्वारा उक्त जानकारीयाँ डाटाबेस से स्वतः संप्रेषित (Transmit) होगी।

3. Online Issuance of Central Forms के लिए अगली प्रक्रिया के क्रम में व्यवसायियों द्वारा VAT तथा CST का Online Return समर्पित करना तथा Online Payment करना आवश्यक है।
4. केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम 7 (1) के अधीन व्यवसायियों को प्रति 25 केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्रों (पन्नों) के लिए विहित 100 रुपये का शुल्क जमा

- करने का प्रावधान यथावत रहेगा। उक्त शुल्क CST के अधीन वैट के TIN के साथ Admitted Tax Menu में उपलब्ध “Miscellaneous” विकल्प में जमा किया जा सकता है।
5. व्यवसायियों को संशोधित केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के अधीन प्रावधानित विवरणी Form I की प्रविष्टि-27 (Box) को प्रत्येक त्रैमास के अगले महीने अर्थात् क्रमशः जुलाई, अक्टूबर, जनवरी तथा अप्रैल माह में भरना है। साथ ही उक्त कॉलम के नीचे अंकित “upload invoice” के button को click करते हुए, विहित प्रपत्र में invoice detail भरना आवश्यक है।
  6. उक्त अनुलग्नक में व्यवसायियों द्वारा किए गए अन्तर्राज्य क्रय (जिनके विरुद्ध Form ‘C’ की माँग की जा रही है) का invoice based विवरण देना है। उल्लेखनीय है कि Invoice detail पूर्णतः केन्द्रीय बिक्री कर त्रैमासिक विवरणी की प्रविष्टि-27 (Box) में भरे गये विवरण के समरूप (matching) हों।
  7. व्यवसायियों को झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के अधीन प्रावधानित मासिक विवरणी JVAT 200 के कॉलम-47 (balance VAT payable) तथा केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के अधीन प्रावधानित मासिक विवरणी (Form-I) के कॉलम-26 “Balance total net amount payable” के अनुसार, कर-राशि का भुगतान करना अनिवार्य है, अन्यथा विभागीय सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन प्रपत्रों का निर्गमन/ downloading नहीं हो पाएगा।
  8. उपरोक्त प्रक्रियाओं (validation) के अनुपालन के उपरान्त व्यवसायी अपने id/password की सहायता से केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्र ‘सी’ के ऑनलाईन निर्गमन हेतु Application दे सकेंगे। व्यवसायी विभागीय सॉफ्टवेयर के होमपेज के Central Form Menu के sub-menu में Apply for Form ‘C’ में जाकर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3(a) तथा 3(b) के अधीन किए गए अंतर-राज्य क्रयों के विरुद्ध प्रपत्र ‘सी’ की अधियाचना (requisition) कर सकते हैं। प्रपत्र ‘सी’ की अधियाचना (requisition) के क्रम में केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के अधीन प्रावधानित त्रैमासिक विवरणी (Form-I) की प्रविष्टि-27 (Box) के निम्न भाग पर “upload Invoice” के अधीन भरे गये अनुलग्नक के अनुसार, प्रपत्र ‘सी’ का ऑनलाईन निर्गमन/download किया जा सकता है।

9. व्यवसायी उक्त अनुलग्नक को (upload Invoice) केन्द्रीय बिक्री कर त्रैमासिक विवरणी भरने के क्रम में या 'C' Form के Application के क्रम में भर सकते हैं। तदोपरांत विभागीय सॉफ्टवेयर द्वारा invoice detail के आधार पर केन्द्रीय प्रपत्र 'सी' निर्गमित/download हो जाएगा। उक्त प्रपत्र तीन प्रतियों में यथा Counter foil, Duplicate एवं Original में निर्गमित/download होगा। व्यवसायी उक्त तीनों प्रतियों हेतु A4 साईज पेपर पर, प्रिंट आउट निकालकर अपने मुहर जिसमें व्यवसायी का नाम एवं TIN के साथ 101 अंकित हो; के साथ अपने व्यवसाय उद्देश्य हेतु Authorized व्यक्ति द्वारा ही हस्ताक्षरित कर, दूसरे राज्य के बिक्रेता व्यवसायी को प्रेषित करेंगे।
10. विभागीय वेबसाईट पर ऑनलाईन निर्गमित वैधानिक प्रपत्रों की inventory उपलब्ध रहेगी। साथ ही, TINXSYS पोर्टल पर भी ऑनलाईन निर्गमित/download वैधानिक प्रपत्रों का विवरण उपलब्ध रहेगा जिसका प्रतिसत्यापन किया जा सकेगा।
11. वैधानिक प्रपत्र 'सी' के ऑनलाईन निर्गमन के उपरांत संबंधित त्रैमासिक या मासिक विवरणियों (प्रान्तीय एवं केन्द्रीय) के संशोधन का विकल्प, व्यवसायियों को उपलब्ध नहीं होगा।

विश्वासभाजन

*A. Jindagi*  
25/1/12  
सचिव-सह-आयुक्त,  
वाणिज्य-कर विभाग,  
झारखण्ड, राँची।